रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 250] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 20, 1994/वैशाख 30 1916

No. 250] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 20, 1994/VAISAKHA 30, 1916

कृषि मंत्रालय

(पशु पालन और डेरी विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 मई, 1994

का.आ. 382 (अ) :—दुग्ध और दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 के पैरा 20 के उप पैरा (2) में विनिर्दिष्ट बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा यह समाधान हो गया है कि मध्य प्रदेश राज्य में तरल दुग्ध के प्रदाय को बनाए रखने और उसमें अभिवृद्धि के लिए ऐसा करना आवश्यक है;

अतः, अब, मैं, दुग्ध और दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 के पैरा 27 के साथ पठित पैरा 20 के उपपैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करता हूं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ :—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश (दुग्ध और दुग्ध उत्पाद) नियंत्रण आदेश, 1994 है।

(2) यह सम्पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य पर लागू होगा :

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा और 15 अगस्त, 1994 को प्रभावहीन हो जाएगा;

परन्तु इस आदेश की समाप्ति प्रवर्तन की ऐसी समाप्ति से पहले की गई या करने से लोप की गई किसी बात के बाबत उसके प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगी।

2. परिभाषाएं :—इस आदेश में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) निर्यात से मध्य प्रदेश राज्य में किसी स्थान संराज्य के बाहर किसी स्थान को किसी भी रीति से ले जाना या ले जाने देना अभिप्रेत है।

(ख) "दुग्ध" से गाय, भैंस, भेड़, बकरी का दुग्ध या उसका कोई संमिश्रण अभिप्रेत है चाहे अपरिष्कृत हो या किसी भी रीति से प्रसंस्कृत हो और इसमें पास्चरीकृत रोगाणु नासित, पुनः संयाजित, सुरुचिकारित, वम्लिकृत, मखनिया, टोनित, डबल टोनित, मानकीकृत या सम्पूर्ण क्रीम दुग्ध है।

(ग) "दुग्ध-उत्पाद" से अभिप्रेत है :—

(1) खोया (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो);

(2) पनीर और छेना

(3) रबड़ी

(4) मखनिया दुग्ध में कैसीन

(5) उपखंड (1) से (4) में विनिर्दिष्ट किसी भी उत्पाद से निर्मित मिठाई।

3. दुग्ध या दुग्ध उत्पाद के निर्यात का प्रतिषेध :—कोई व्यक्ति कारोबार या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए दुग्ध या दुग्ध-उत्पाद का निर्यात नहीं करेगा।

परन्तु इस खण्ड की कोई बात दिल्ली दुग्ध योजना और अहर डेरी, दिल्ली को तरल दुग्ध प्रदाय पर लागू नहीं होगी ।

4 दुग्ध उत्पाद के विनिर्माण, विक्रय, पूर्ति और प्रदाय का प्रतिषेध :-

कोई व्यक्ति—

(क) कारोबार या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किसी दुग्ध-उत्पाद के विनिर्माण या तैयार करने के लिए दुग्ध का उपयोग नहीं करेगा; या

(ख) कारोबार या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए प्रत्येक मामले में, किसी दुग्ध-उत्पाद का विक्रय, पूर्ति या प्रदाय नहीं करेगा या विक्रय, पूर्ति या प्रदाय प्राप्त नहीं होने देगा ।

5. प्रवेश करने, तलाशी लेने और अभिग्रहण करने की शक्ति :— (1) नायब-तहसीलदार से अन्यून पंक्ति का कोई राजस्व अधिकारी या खाद्य और नागरिक प्रदाय निरीक्षक से अन्यून पंक्ति का खाद्य और नागरिक प्रदाय विभाग का कोई अधिकारी या ऐसा कोई अन्य अधिकारी जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, इस आदेश की पालना सुनिश्चित करने की दृष्टि से या अपना यह समाधान करने के लिए कि इस आदेश की पालना की जा रही है :—

(क) दुग्ध के निर्यात या किसी दुग्ध पदार्थ के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त या उपयोग के लिए आशयित किसी नौका, मोटर या अन्य यान या किसी पात्र या मशीनरी या किसी व्यक्ति को रोक सकेगा और तलाशी ले सकेगा;

(ख) किसी स्थान या परिसर में प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा;

(ग) किसी दुग्ध या किसी दुग्ध पदार्थ का जिसकी बाबत उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है, उन पैकेजों, आवेष्टकों, पात्रों या मशीनरी के साथ-साथ जिनमें दुग्ध पाया गया हो या निर्यात के लिए दुग्ध ले जाने के लिए प्रयुक्त पशुओं, यानों, नौकाओं या अन्य प्रवाहनों का अभिग्रहण या अभिग्रहण प्राधिकृत कर सकेगा और उसके पश्चात इस प्रकार अभिगृहीत पैकेजों, आवेष्टकों, पात्रों, मशीनरी, पशुओं, यानों, जलयानों, नौकाओं या प्रवाहनों का कलेक्टर या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने और प्रस्तुत किए जाने के दौरान उनकी सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के आवश्यक सभी उपाय करेगा या किए गए उपायों को प्राधिकृत करेगा ।

(2) तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 100 के उपबंध यावतशक्य, इस खंड के अधीन की गई तलाशी और अभिग्रहण को लागू होंगे ।

"6. छूट:— पैरा 3 के सिवाय, इस आदेश की कोई बात, मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 के अधीन रजिस्ट्रीकृत, दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के उत्पादन, विक्रय, विनिर्माण, प्रसंस्करण, परिवहन, भण्डारण में लगी किसी सहकारी सोसाइटी को लागू नहीं होगी ।"

[फा.सं. 9-6/94-डी.पी.]
जी.एस. साहनी, नियंत्रक

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

ORDER

New Delhi, the 20th May, 1994

S.O. 382(E).—Whereas, having regard to the factors specified in sub-paragraph (2) of paragraph 20 of the Milk and Milk Product Order, 1992, I am satisfied that in order to maintain and increase the supply of liquid milk in the State of Madhya Pradesh, it is necessary so to do;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 20, read with paragraph 27, of the Milk and Milk Product Order, 1992, I hereby make the following order, namely:—

1. Short title, extent and operation.—(1) This Order may be called the Madhya Pradesh (Milk and Milk Product) Control Order, 1994.

(2) It extends to the whole of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette and shall cease to operate on the 15th August, 1994.

Provided that the expiry of this order shall not affect the operation thereof in respects of things done or omitted to be done before such cesser of operation.

2. Definitions.—In this Order, unless the context otherwise requires,—

(a) 'Export' means take or cause to be taken, by any means whatsoever, out of any place from the State of Madhya Pradesh to any place outside the State;

(b) 'Milk' mean milk of cow, buffalo, sheep, goat or a mixture thereof, either raw or processed in any manner and includes pasteurised, sterilised, recombined, flevoured, acidified, skimmed, toned, double toned, standardised or full cream milk;

(c) 'Milk product' means,—

(i) Khoya (by whatever name called) ;

(ii) Paneer and Channa;

(iii) Rubree;

(iv) Casein of skimmed milk;

(v) Sweets made from any of the products specified in sub-clauses (i) to (iv).

3. Prohibition of export of milk or milk products.—No person shall export for business or commercial purposes milk or milk product.

Provided that nothing in this clause shall apply to supply of liquid milk to the Delhi Milk Scheme and Mother Dairy, Delhi.

4. Prohibition of manufacture, sale, service and supply of milk product :—

No person shall,—

(a) Use for business or commercial purposes milk for manufacture or preparation of any milk product, or

(b) Sell, serve, supply or cause to be sold, served or supplied any milk product, in each case, for business or commercial purpose.

5. Powers of entry, search and seizure.—(1) Any Revenue officer not below the rank of a Naib Tehsildar, any officer of Food and Civil Supplies Department not below the rank of an Assistant Food and Civil Supplies Inspector or any other officer authorised in this behalf by the State Government may, with a view to securing compliance with the order or satisfying himself that this order has been complied with:—

(a) Stop and search any person or any boat, motor or other vehicle or any receptacle or machinery used or intended to be used for export of milk or for manufacture of any milk product;

(b) enter and search any place or premises;

(c) seize or authorise the seizure of milk or milk product in respect of which he has reason to believe that any provision of this order has been, is being or is about to be contravened alongwith the packages, coverings or receptacles in which milk or milk product is found or machinery which is believed to be used for manufacture or milk product, vehicles, animals, vessels, boats or conveyances used in carrying milk or milk product and thereafter take or authorise the taking of all measures necessary for securing the production of packages, coverings, receptacle, animals, vehicles, vessels, boats or conveyance, so seized before the Collector or the Court and for their safe custody pending such production.

(2) The provisions of section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) relating to search and seizure shall, so far as may be, apply to searches and seizure under this clause.

"6. Exemption.—Except paragraph 3 nothing in this Order shall apply to any Cooperative Society, registered under the Madhya Pradesh Cooperative Society Act, 1960, engaged in the production, sale, manufacture, processing, transport, storage of milk and milk products".

[F. No. 9-6|94-DP]

G..S. SAHNI, Controller

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994